राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(24)आरडी/नरेगा/ई-एफएमएस/11-12 जयपुर दिनांक:

23 AUG 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :-Co-operative Bank खाताधारी श्रमिकों के बैंक खातों को नरेगा सॉफ्ट पर फ्रीज किये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 21(44)ग्रावि/नरेगा/2010 दिनांक 08.08.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा Co-operative Bank के खातों को फ्रीज किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। Co-operative Bank के अधिकारियों के साथ दिनांक 14.08.2013 को हुई बैठक में अवगत कराया गया है कि Co-operative Bank खाताधारी श्रमिकों का भुगतान ई-एफएमएस के माध्यम से किये जाने के संबंध में उनके द्वारा ब्रांच स्तर के 449 शाखाओं के IFS Code भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्राप्त कर लिये गये है। अतः IFS Code मिल जाने से यह CBS प्लेटफार्म पर कार्य करेगें।

अतः उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन श्रमिकों के खाते GSS में है, उनके खातों को वर्तमान में फ्रीज किये जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि IFS Code उपलब्ध कराये जाने के पश्चात Associated District Central Co-operative Bank Branch को DPC Login से डाटाबेस में add करने के पश्चात ही नरेगा सॉफ्ट पर फ्रीज किये जावे।

भवदीय

(देवराज)
वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) ईजीएस, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, जयपुर/जोधपुर।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस